समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :................................/सम्ब./2020

दिनांक :..

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

जन सुनवाई/अति आवश्यक

सेवा में,

प्रबन्धक,

A- BALRAM KRISHN ACADEMY, MOHANLALGANJ, LUCKNOW.
B- COLLEGE OF INNOVATIVE MANAGEMENT AND SCIENCE, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.
C- DR. M.C. SAXENA COLLEGE OF EDUCATION, HARDOI SITAPUR BYEPASS ROAD, LUCKNOW.
D- LALA MAHADEV PRASAD VERMA BALIKA MAHAVIDYALAYA, GOSAIGANJ, LUCKNOW.
E- RAJAT COLLEGE OF EDUCATION 7 MANAGEMENT, MATIYARI, LUCKNOW.
F- RAJAT DEGREE COLLEGE, PANCHWATI KAMTA, CHINHAT, LUCKNOW.
G- SURAJAN DEVI ANUSUIYA DEVI DEGREE COLLEGE, GANGAGANJ, LUCKNOW.
H- UNITY DEGREE COLLEGE, SECTOR-B, BASANT KUNJ, HARDOI ROAD, LUCKNOW.
I- T.D.L. COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT SCIENCES, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.
J- SHRI DURGA SHIKSHA NIKETAN MAHAVIDYALAYA, B.K.T., LUCKNOW.
K- MODERN COLLEGE OF EDUCATION BIJNORE, LUCKNOW.

विषय : समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 (आई.जी.आर.एस.) से सम्बन्धित शिकायत संख्या : 40015720064413 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जन सुनवाई के अन्तर्गत श्री दीपक शुक्ल, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री अनुराग सिंह, मंजरी सिंह, इसरार अहमद, पी0एन0 शर्मा, ममता चौहान व रविन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत शिकायत संख्या : 40015720064413 के माध्यम से प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2020 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायती पत्र के माध्यम से महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में एनसीटीई 2014 के अनुसार शिक्षक नियुक्त न होने और मार्च, 2020 से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने की शिकायतें की गयीं हैं।

अतः उपरोक्त शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम में मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों की नियुक्ति, उनका नाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर उपलब्ध है तथा नियमानुसार प्रत्येक माह वेतन भुगतान किया जा रहा है, के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0पी0 कौशल)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : Af/19740-55 दिनांक : 18.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. इंचार्ज, वेबसाईट/यू0डी0आर0सी0 पोर्टल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को कालेज लॉगिन/इ–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

उप कुलसचिव (सम्ब.)

DEEPAK SHUKLA

ADVOCATE,HIGH COURT

HIGH COURT CHAMBER NO.................

MO-9450596576,
9140665429

E-mail-advdeepakald26@gmail.com

Residence-
145C/1,CHANDPUR SALORI
TELIYARGANJ,PRAYAGRAJ

दिनांक-29/10/2020

सेवा में,

माननीय कुलाधिपति / महामहिम राज्यपाल महोदया
उत्तर प्रदेश सरकार,राज भवन लखनऊ

विषय –लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी स्ववित्तपोषित बी०एड० एवं एम०एड० संसथान में NCTE के 2014 के नियमो के अनुसार शिक्षको की नियुक्ति भौतिक रूप से न होने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा छल कपट एवं कूट रचित प्रपत्रो के आधार पर इन संस्थानों को सत्र 2020 की प्रस्तावित काउंसलिंग में विश्वविद्यालय के कुलपति,कुलसचिव,सहायक कुलसचिव सम्बद्धता द्वारा अपराधिक आशय से शामिल करके सरकारी संपत्ति का नुकसान एवं अपराधिक षड्यंत्र के सम्बन्ध में

महोदय जी,

आवेदक ने दिनांक 09/10/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संख्या-40015720058918 दर्ज कराई थी। जो संलग्नक एक है। जिसमे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित बी०एड० एवं एम०एड० संसथान में शिक्षको की नियुक्ति NCTE 2014 के नियमो के अनुसार न होने की शिकायत की गयी थी एवं शासन के आदेश के बाद भी कोविड-19 जैसे संक्रमण में भी इन स्ववित्तपोषित संस्थाओ द्वारा अपने शिक्षको एवं कर्मचारियों को मार्च 2020 से वर्तमान समय तक वेतन न दिए जाने की भी शिकायत की गयी थी। जिसकी पूर्व में भी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय से की गयी थी।

जब इन स्ववित्तपोषित संस्थाओ मे नियुक्त व कार्यरत शिक्षको का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाता है एवं इन संस्थाओ में इन शिक्षको की नियुक्ति के पश्चात नियुक्ति सम्बन्धित समस्त प्रपत्रो की एक प्रतिविश्वविद्यालय में जमा कराई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष बी०एड० काउंसलिंग मे इन संस्थाओ को शामिल करने से पूर्व सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा इन संस्थाओ मे कार्यरत शिक्षको की सूची काउंसलिंग कराने वाले विश्वविद्यालय / संस्था को प्रेषित की जाती है तब किस प्रकार से इन संस्थाओ में भौतिक रूप से शिक्षक कार्यरत नही है इसका जवाब इन संस्थाओ में विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षको को दिए जाने वाले वेतन के बैंक खाते के विवरण की जाँच करके ही वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है।

जब जब शिकायतकर्ता ने शिकायत मे ही आपों लगा दिया था कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी स्ववित्तपोषित शिक्षको व कर्मचारियों को मार्च 2020 से वर्तमान समय तक वेतन नहीं निर्गत किया है तब भी विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी इन संस्थाओ के प्रबंधको से दुरभिसंधि करते हुए इन संस्थाओ से शिक्षको को दिए जाने वाले वेतन के बैंक खाते का विवरण न मंगवाकर दिनांक-15/10/2020 को यह आख्या लगा दी की यह सन्दर्भ लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बंधित नही है। प्रकरण महाविद्यालय से सम्बंधित है जबकि समस्त सन्दर्भ विश्वविद्यालय से ही संदर्भित था।

शिकायत पर फीडबैक देने वह शिकायत पुनर्जीवित होने पर दिनांक-20/10/2020 को पुनः विश्वविद्यालय के अधिकारियो द्वारा आख्या लगाई गयी की शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय में आकर संपर्क करे,आख्या पुन नाकार दिए जाने पर विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियो ने अपराधिक षड्यंत्र करते हुए यह आख्या लगाई की शिकायतकर्ता पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये। विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियो की इच्छानुसार पूर्ण विवरण इस आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करेंगे

1-लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी स्ववित्तपोषित बी०एड० एवं एम०एड० संस्थाओ मे NCTE 2014 के मानक के अनुसार शिक्षको की भौतिक रूप से नियुक्ति नहीं है,एक एक शिक्षक कई संस्थाओ में अनुमोदित है जिसकी पुष्टि सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षको के अनुमोदन सूची का मिलन करके किया जा सकता है।

2-कोविड-19 के संक्रमण एवं लाक डाउन के कारण शासन के आदेश के बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित शिक्षको एवं कर्मचारियों का वेतन मार्च 2020 से वर्तमान समय तक नहीं निर्गत किया गया है। जिसकी पुष्टि शिक्षको एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के बैंक विवरण को मंगवाकर किया जा सकता है।

3-लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जितने भी स्ववित्तपोषित बी०एड० संस्थाओ के शिक्षको की सूची लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा काउसलिंग के लिए प्रेषित की गयी है किसी भी संस्था मे सुचि में प्रेषित किये गए शिक्षक संस्था में भौतिक रूप से कार्यरत नहीं है अधिकांश शिक्षको का अनुमोदन कई संस्थाओ में है जो कि जाँच के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4-माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल को अधिकारियो नष्ट करने व पूर्णतयः बन्द करवाने का निश्चय कर लिया है।

5-लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियो की इच्छानुसार कुछ संस्थाओ की सूची प्रदान कर रहा हूँ जहा शिक्षक NCTE 2014 के अनुसार नहीं भौतिक रूप से नहीं नियुक्त है एवं मार्च 2020 से वर्तमान समय तक इन संस्थाओ के शिक्षको एवं कर्मचारियों को वेतन भी नहीं निर्गत किया गया है। आशा है विश्वविद्यालय कठोर कार्यवाही करेगा तत्पश्चात एनी संस्थाओ की सुचि भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।

A-BALRAM KRISHAN ACADEMY, SAINT PEETERS CHURCH KE PICHHE, MOHANLALGANJ, LUCKNOW-9454289490-PRINCIPALBKACADEMY@GMAIL.COM

B-COLLEGE OF INNOVATIVE MANAGEMENT AND SCIENCE, VIPUL KHAND, GOMATI NAGAR, LUCKNOW-8417003515-CIMSEDU7@GMAIL.COM

C-DR. M.C. SAXENA COLLEGE OF EDUCATION, IIM ROAD, HARDOI, SITAPURA BYEPASS, LUCKNOW-9651328841-MCSCOE.EDU@GMAIL.COM

D-LALA MAHADEV PRASAD VERMA BALIKA MAHAVIDYALAYA, GOSAIGANJ, LUCKNOW-9648923548-CONTACT@LMPVGDCOLLEGE.ORG

E-RAJAT COLLEGE OF EDUCATION & MANAGEMENT, MATIYARI, CHINHAT, LUCKNOW-9415002312-RAJATBTC@GMAIL.COM

F-RAJAT DEGREE COLLEGE, PANCHWATI KAMTA, CHINHAT, FAIZABAD ROAD, LUCKNOW-8808820297-RAJATBTC@GMAIL.COM

G-SURJAN DEVI ANUSUIYA DEVI DEGREE COLLEGE, GANGAGANJ, LUCKNOW-8601049741-CONTACT@SDADDEGREECOLLEGE.ORG

H-UNITY DEGREE COLLEGE, SECTOR - B , BASANT KUNJ,HARDOI ROAD, LUCKNOW-7570006104-UNITYDEGREE@GMAIL.COM

I-T.D.L. COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT SCIENCES, KASHIMPUR BIRUA, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW-7510000865-TDL.B.ED.COLLEGE@GMAIL.COM

J-SHRI DURGA SHIKSHA NIKETAN MAHAVIDYALAYA, BAXI KA TALAB, LUCKNOW-7570001108-SDSNBKT@GMAIL.COM

K-MODERN COLLEGE OF EDUCATION BIJNOR, LUCKNOW-9450464038-MODERN.BTC@GMAIL.COM

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित–

1-कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

2-कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

3-उच्च शिक्षा क्षेत्रीय अधिकारी लखनऊ

4-कमिश्नर लखनऊ मण्डल

4-जिलाधिकारी लखनऊ

शिकायतकर्ता

Deepak Shukla

दीपक शुक्ल